क्रमांक-6

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2009 (अग्रहायण 2, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. शपथ

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-45 पृथ्वीपुर से निर्वाचित सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री मुन्ना सिंह नरवरिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा शोकाकुल परिवार के प्रति सहानभूतिपूर्वक हार्दिक संवेदना प्रकट की गई तथा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिवंगत के संम्मान में पूर्वाह्न 10.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही 5 मिनिट के लिए स्थगित होकर 10.44 बजे पुनः समवेत् हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 132 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 134 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य ने पिछोर (शिवपुरी) के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड में दलालों द्वारा घपला किये जाने,

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने राज्य बीमा चिकित्सालयों के चिकित्सकों को उच्चतर वेतन लाभ न देने,

(3) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर के सुवासरा, शाकगढ़ में कॉलेज न खोलने,

(4) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य ने राजगढ़ जिले में मोटर साईकल चोरी की घटनायें होने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भोपाल के कोलार में विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा बिल न भेजने तथा

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने शिवपुरी-श्योपुर मार्ग का निर्माण कार्य अपूर्ण होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-31-2009-आठ, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 पटल पर रखे।

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा ने -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2005-2006 (मई 2005 तक),

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का षष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च,2008 तक,

(ii)मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का पंचम् एवं छटवां वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः दिनांक 31 मार्च, 2007 तथा 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि का,

(iii) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008,

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(1) क्रमांक 2299-म.प्र.वि.नि.आ./2006, दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 तथा

(2) क्रमांक एफ 3-20-1998-तेरह, दिनांक 9 नवम्बर, 2009

पटल पर रखे।

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तता महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में सात सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर सात ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने मंडला जिले में खनिज अपराधियों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की प्रदेश के विद्यालयों में चयनित संविदा शिक्षकों को नियुक्ति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना, उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ कोतवाली थानांतर्गत अनेक हत्यायें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) डॉ. कल्पना परूलेकर, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण ने उज्जैन जिले में अस्थाई कनेक्शन के नाम पर किसानों से अवैध वसूली किये जाने की ओर राज्यमंत्री, ऊर्जा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य ने रीवा अमरकंटक सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री अजय यादव, श्री अरूणोदय चौबे, केदारनाथ शुक्ल, सदस्यगण ने सागर स्थित डफरीन महिला अस्पताल को बंद किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने औबेदुल्लागंज नागपुर सड़क मार्ग पर संकीर्ण पुलिया होने से आये दिन जाम लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए।

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति ने लोकलेखा समिति का 1 से 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम लोहरी का पुरा मजरा चन्दोखर में पेयजल की व्यवस्था किये जाने,

(ख)ग्राम रामपाल के पुरा में विद्युत की समुचित व्यवस्था किये जाने,

(ग) ग्राम रामपाल के पुरा से चंदोखर तक मार्ग निर्माण एवं पुलिया मरम्मत किये जाने; तथा

(घ) चंदोखर के बीजासेन मंदिर के समीप एक हेण्डपंप खनन किये जाने,

(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम आलीवाड़ा में पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने,

(ख) ग्राम भौंडिया पानी तथा लिंगा में विद्युत व्यवस्था किये जाने, तथा

(ग) ग्राम आलीवाडा में सिंचाई बांध निर्माण किये जाने

(3) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने बैतूल जिले के -

(क) ग्राम सांडिया की माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(ख) घाट पिपरिया पानी की टंकी के पास से ग्राम मुडापारा तक सड़क निर्माण किये जाने

(ग) विकासखंड प्रभात पट्टन के जवाहर नवोदय विद्यालय तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(घ) विकासखंड प्रभात पट्टन से भगत सिंह रोड तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ङ) ग्राम देवगांव में मिडिल स्कूल खोले जाने, तथा

(च) ग्राम टेमझिरा के केकड्या ढाना में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने,

(4) श्री विश्वामित्र पाठक, सदस्य ने सीधी जिले के -

(क) ग्राम मुर्दाडीह का नाम परिवर्तित कर रामडीह II किये जाने तथा

(ख) ग्राम घिनहागांव का नाम परिवर्तित कर शान्तिगांव किये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

9. वक्तव्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री ने दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 100 (क्रमांक 2013) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

(2) श्री पारस चन्द जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने दिनांक 6 जुलाई, 2009 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 426) के उत्तर में संशोधन करने के सबंध में वक्तव्य दिया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 30 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2009 (क्रमांक 26 सन् 2009)पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री पारस दादा

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 48 :

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 48 में इस प्रकार संशोधन किया जाए अर्थात :-

खण्ड 48 में उप खण्ड (6) में, परन्तुक में, शब्द "पचास प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दस प्रतिशत" स्थापित किए जाएं।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खण्ड 48 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 2 से 47 तथा 49 से 79 एवं अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2009 (क्रमांक 26 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(अपराह्न 12.56 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए।

(3) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण (निरसन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 27 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण (निरसन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 27 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

. (4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने प्रस्ताव किया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 28 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने प्रस्ताव किया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 28 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

. (5) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 29 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री पारस दादा

(3) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा

(4) श्री लक्ष्मण तिवारी

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 29 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2009 (अग्रहायण 3, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.